तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 119/2020 अनवान जेठाराम बनाम फूसाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम इस हुकम की तामील मे जारी हुए
12/05/21	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 05 के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 05 द्वारा प्रस्तुत जवाब सामिल मिसल हो। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा बेरिवाला गांव पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 808/68 रकबा 18.00 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 05 का कथन है कि अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 67, 736/68 व 738/98 कुल रकबा 89.00 बीघा भूमि प्रार्थी के पड़ौस में आई हुई है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 26.04.2013 को माननीय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के आदेश से नेखमबन्दी करवा रखी है, जिसके चारों तरफ तारबन्दी की हुई है। अप्रार्थीगण के खेत को छोड़ते हुए तथा अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थी के खेत की नेखमबन्दी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है। अप्रार्थीगण जवाब में उल्लेखित तथ्यों का मौके पर पैमाईश के दौरान ज्ञान होगा और उसी अनुसार कार्रवाई संभव होगी। वर्तमान में अभिलिखित खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बेरिवाला गांव पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 808/68 रकबा 18.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर	
...ण्ड अधिकारी बाडमेर		

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 119/2020 अनवान जेठाराम बनाम फूसाराम**
	(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर